>

Title: Request to give pension of Rupees Nine Thousand per month to the pensioners of EPS-95 scheme.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : अध्यक्ष महोदय, मैं देश भर के ईपीएस-95 पेंशनधारकों की बात रख रहा हूं । वर्तमान में ईपीएस-95 मासिक पेंशन एक हजार रुपये से तीन हजार रुपये तक मिलती है । यह बहुत अपर्याप्त है । सर्वोच्च न्यायालय ने 04.10.2016 के अपने फैसले में कहा है कि सभी ईपीएस धारकों को वास्तविक वेतन या मजदूरी के आधार पर पेंशन दी जाए । सभी पेंशनधारक भाइयों को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम पेंशन का लाभ दिया जाए । इसी न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये प्रति महीना देने के साथ ही सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए । मैं अंत में यह मांग करता हूं कि भारत सरकार विषय का संज्ञान लेते हुए ईपीएस-95 पेंशनधारकों को नौ हजार रुपये पेंशन देने की कार्रवाई करे । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुनील बाबूराव मेंढे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे और डॉ. हिना विजयकुमार गावीत को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।